FROM No. -III

# फर्द अहकाम

(नियम–26)

## अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा केम्प कोर्ट– सरेरी

श्रीमति हीरी पत्नि धन्ना बागरियॉ
निवासी– बागा का खेडा

बनाम

श्रीमति सुगनी देवी पुत्री धासी पत्नि भूरा बागरियॉ, निवासी– कुण्डिया

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 88,188, 92 ए रा.टी.ए. प्रकरण संख्या–322/2012

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 28.05.2018 | पत्रावली आज केम्प कोर्ट सरेरी पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र आदेश–7 नियम–14 जाप्ता दीवानी पर सूनी गई। वक्त बहस वकील प्रार्थी का कथन था कि सेटलमेन्ट विभाग की फर्द इख्तलाफ अभी हाल ही में दिनांक 24.05.2017 को प्राप्त हुई है। जिससे उक्त दस्तावेजा वादपत्र के साथ पेश नही किया जा सका। उक्त दस्तोवज प्रकरण में अहम दस्तावेज होकर न्याय निर्णय में मददगार होगा अन्त में कथन किया कि उक्त दस्तोवज रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश फरमाया जावें। वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी के द्वारा 6 साल बाद उक्त दस्तावेज पेश किया है। जिसे भारी कोष्ट पर लिया जावें।<br><br>मैंने उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। तद्नुसार न्यायालय प्रार्थना पत्र प्रार्थी आदेश– 7 नियम–14 जाप्ता दीवानी को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझता है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी आदेश– 7 नियम–14 जाप्ता दीवानी को स्वीकार किया जाकर सेटलमेन्ट विभाग के फर्द इख्तलाफ संख्या– 57 को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।<br><br>तत्पश्चात वकील उभयपक्ष की अंतिम बहस सूनी गई। वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि आराजी मुतदाविया वादीगण व प्रतिवादीगण की मौरुसी आराजीयात होकर उनके मौरुस गंगाराम पिता धूला बागरियॉ के समय की है, जिसमें वादीगण का 1/7 हक हिस्सा निहित है। खातेदार गंगाराम की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या–1 के पति घीसा व प्रतिवादी संख्या– 3 भागू ने सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट विभाग के | सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा |

Scanned by CamScanner

अधिकारियों से मिलकर मृतक खातेदार गंगाराम की आराजीयात को अपने नाम 1/2, 1/2, हिस्से से दर्ज करला ली, जो अवैध व नाजायज है। प्रतिवादी संख्या–1 के पति घीसा के द्वारा इस गलत व अवैध रुप से दर्ज 1/2 दर्ज हिस्सा अपने नाम दर्ज करा लेने से उसकी मृत्यु के बाद विरासत से प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के नाम दर्ज हुई है। जिसे प्रतिवादी संख्या– 1व 2 ने प्रतिवादी संख्या– 15 कोयली गुर्जर को बेचान कर दी तथा प्रतिवादी संख्या– 3 भागू के द्वारा 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या– 16 श्रीमति गीता को बेचान कर दी। इसलिये प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 के द्वारा गलत व अवैध रुप से प्रतिवादी संख्या– 15 व 16 को किये गये विक्रय पत्र वादीगण के हक पर बेअसर होकर शून्य प्रभावी है, तथा वादीगण अपने निहित 1/7 हिस्से की आराजी को अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी होने से दावा वादी स्वीकार फरमाया जावें ।

वकील प्रतिवादी का कथन था कि वादग्रस्त भूमि घीसा मांगू पिता गंगा बागरियॉ के नाम दर्ज थी, तथा घीसा की मृत्यु के बाद विरासत से सुगना व बगती के नाम दर्ज हुई। जो विधिक रुप से दर्ज हुई थी। प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 वादग्रस्त भूमि के खातेदार होने से उनके द्वारा प्रतिफल राशि प्राप्त कर ही प्रतिवादी संख्या– 15, 16 को भूमि का बेचान किया गया है जो प्रतिवादी संख्या– 15 , 16 के नाम खातेदारी हक से दर्ज चली आ रही है। अन्त में कथन किया कि दावा वादी खारिज फरमाया जावें।

मैनें वकील उभयपक्ष की बहस को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है–

वादग्रस्त साबिक आराजी नम्बर– 444/1 गंगाराम पिता धूला बागरियॉ के नाम दर्ज रही हो ऐसा कोई राजस्व जमाबन्दी वादीगण के द्वारा पेश तो नही की गई है किन्तु वादीगण के द्वारा प्रस्तुत भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग के खसरा सम्वत् 2022 मौजा धूवालियॉ के अनुसार साबिक आराजी नम्बर– 444/1 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा भूमि गंगा पिता धूला बागरियॉ के नाम दर्ज थी, जो सेटलमेन्ट के फर्द इख्तलाफ संख्या– 57 से खातेदार गंगा की विरासत से घीसा, भाग्या बागरियॉ के नाम दर्ज होना प्रकट आया है। सेटलमेन्ट विभाग के उक्त खसरा के अनुसार साबिक आराजी नम्बर– 444/1 के नये नम्बर– 479 बनाये जाना तथा हाल राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 मौजा धुवांलिया के अनुसार हाल आराजी

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

नम्बर– 479 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा भूमि घीसा, मांगू पिता गांगा बागरियॉं के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है। नामान्तकरण संख्या– 1044 विरासत से घीसा के बजाय सुगना पुत्री घीसा बगती पत्नि घीसा का नाम आना तथा नामान्तकरण संख्या– 1199 बेचान से मांगू के बजाय कोयली पत्नि बालु गुर्जर साकिन बागा का खेडा तथा नामान्तकरण संख्या– 1212 बेचान से सुगना पुत्री घीसा, बगती पत्नि घीसा बजाय गीता देवी पत्नि धन्ना जाति जोगी, का नाम दर्ज रिकार्ड आना प्रकट आया है।

चुँकि यहॉं यह तो निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि गंगा पिता धूला बागरियॉं के समय की है, और मृतक खातेदार के घीसा, भैरु, भागू, धन्ना, गोकल, मोहन पुत्र तथा हीरी पुत्री है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा–8 के अनुसार पिता की सम्पति में उनके पुत्र पुत्रीयॉं का समान हक हिस्सा माना गया है, प्रकरण में मृतक खातेदार गंगा बागरियॉं की मृत्यु के बाद सेटलमेन्ट विभाग के द्वारा मृतक खातेदार के विधिक वारिसानों को बिना सूनवाई का अवसर दिये ही इख्तलाफ संख्या– 57 मात्र मृतक खातेदार के दो पुत्रों घीसा व मांगू के नाम ही निर्णित किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। ऐसे विधि विरुद्ध सेटलमेन्ट विभाग के द्वारा खोले गये इख्तलाफ संख्या– 57 से घीसा व मांगू को मृतक खातेदार गंगा की सम्पूर्ण आराजीयात में हक हिस्सा प्राप्त नही होता है। ऐसी स्थिति में घीसा व मांगू के द्वारा प्रतिवादी संख्या– 15 व 16 को किया गया बेचान वादी के हको पर शून्य प्रभावी होने से वादीगण के हको पर शून्य प्रभावी घोषित किया जाता है। अतः उक्त विवेचनानूसार दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

## "निर्णय"

दावा वादी डिक्री किया जाकर मौजा धुंवालिया तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 479 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा भूमि के खातेदारों के साथ वादीगणों को 1/7, प्रतिवादी संख्या– 4, 5 व 6 को 1/7, प्रतिवादी संख्या– 7, 8, 9, 10, 11 व 12 को 1/7, प्रतिवादी संख्या– 13 को 1/7, प्रतिवादी संख्या– 14 को 1/7 हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें। निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को खुली अदालत में सूनाया गया।

(गन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner